FAX

संख्या : 306 प्र0/09-5-/2011

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग– 5 **लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2011**

विषयः **समीक्षा बैठकों में नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों का प्रतिभाग किया जाना।**

महोदय,

यह अनुभव किया जा रहा है कि मा0 मंत्री, उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में आहूत एवं प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय बैठकों में सभी नागर निकायों के अधिशासी अधिकारी, विशेष कर उन नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, जहॉ अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी का प्रभार निर्वहन किया जा रहा है, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कहीं कहीं से अधिशासी अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निम्न स्तर के कार्मिक प्रतिभाग करते हैं, जिन्हें नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के संबंध में अपेक्षित जानकारी ही नहीं होती है और वह किसी विषय विशेष में कार्यवाही करने के संबंध में कोई प्रतिबद्धता करने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। इस स्थिति में जहॉ एक ओर अनुशासन प्रभावित होता है, वही दूसरी ओर समीक्षा बैठकों में शासन के निर्देश सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों तक अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहुॅच पाते हैं। परिणामस्वरूप बैठक का उद्देश्य पूर्णरूप से सफल नही हो पा रहा है।

2. उपरोक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मा. नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत मुख्यालय/क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करें और कोई प्रतिनिधि कदापि न भेजें। किसी भी दशा में अधिशासी अधिकारी का प्रतिनिधि, अपरिहार्य स्थिति के अतिरिक्त, बैठकों में प्रतिभाग नही करेगा। यदि किसी अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति अपरिहार्य हो तो उस संबंध में सूचना जिलाधिकारी द्वारा बैठक से पूर्व निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 को ई–मेल (km.rekha gupta@gmail.com) और टेलीफोन (0522–2287234, फैक्स नं0 0522–2288198) द्वारा अवश्य दी जाए और अधिशासी अधिकारी के प्रतिनिधि निदेशक की अनुमति प्राप्त करके ही बैठक में प्रतिभाग करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्याः 3061 (2) /2011, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकोश मिश्र)
विशेष सचिव।